न्यायालय – अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर, जिला पाली

पीठासीन अधिकारी :– मोक्षदा नांदड़, आर॰जे॰एस॰

सरकार बनाम विनोद वगैरह

दाण्डिक मूल प्रकरण सी.आई.एस. नं. 1777/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विवरण
28.08.2025	एपीओ उपस्थित। वकील परिवादी उपस्थित। वकील मुलजिमान ने मुलजिमान की हाजरी माफी प्रार्थना–पत्र पेश की जिसे बाद सुनवाई आज हेतु स्वीकार कि गया। इस आदेश द्वारा परिवादी छोगालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 319 सीआरपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए कथन किये कि दिनांक 18.09.2007 को परिवादी छोगालाल ने पुलिस थाना सुमेरपुर में रिपोर्ट पेश कर विनोद, रमेश, कैलाश, कन्या, प्रभु, ताराचंद की पत्नि सुकी, किशोर, मनीष, बाबूलाल, दिनेश व महेंद्र के विरूद्ध मुकदमा संख्या 303/2007 अंतर्गत धारा 452, 147, 148, 149, 323, 325, 427 दर्ज करवाया था। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण से मिलकर मात्र विनोद, रमेश, कैलाश, महेंद्र व दिनेश के विरूद्ध चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय में गवाहान पी.ड.1 छोगालाल, पी.ड.2 महेंद्र कुमार, पी.ड.03 शंकरलाल, पी.ड.4 प्रकाशचंद, पी.ड.05 डॉ प्रवीण अरोडा, पी.ड. 07 छगनलाल, पी.ड.9 किशनलाल इत्यादि बयान कलमबद्ध किये गये जिन्होंने अपने बयानों में घटना में कन्या, सुकी, बाबूलाल, मनीष एवं किशोर का सम्मिलित होना अभिकथित किया। परिवादी व उनके परिवार के साथ दिनांक 18.09.2007 की घटना में शामिल आरोपीगण का नाम एफ.आई.आर में दर्ज है तथा समस्त गवाहान के द्वारा 161 सीआरपीसी के तहत लिये गये बयानों एवं न्यायालय में लिये गये बयानों में आरोपीगण का नाम है। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण से मिलीभगत कर उक्त पांचों का नाम चार्जशीट में सम्मिलित नहीं कर उन्हें घटना में शामिल होना नहीं मानकर उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कन्या, किशोर, सुकी, बाबूलाल व मनीष के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा दिनांक 18.02.2007 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सुमेरपुर में प्रस्तुत की गयी थी जिसमें परिवादी ने यह तथ्य अंकित किये कि वह रात्रि के	

करीब 8 बजे अपनी दुकान विजय आयरन इंडस्ट्रिज, टिंबर मार्केट सुमेरपुर में बैठा था, उसके पुत्र किशन, शंकर, प्रकाश, महेंद्र व उसकी पत्नि नेनुबाई सब दुकान पर थे, उस समय वर्तमान अभियुक्तगण के अतिरिक्त किशोर, ताराचंद की पत्नि, मनीष, कन्या एवं बाबूलाल हाथों में लोहे के पाईप लाठियां व सरिया लेकर एकराय होकर आये और दुकान में उनके साथ मारपीट शुरू कर दी जिससे परिवादी के पुत्र व पत्नि के चोटें आई। उसकी दुकान में तोडफोड की जिससे उसे दस हजार रूपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाहान में से परिवादी पी.ड.01 छोगालाल, पी.ड.02 महेंद्रकुमार, पी.ड.03 शंकरलाल, पी.ड.04 प्रकाशचंद एवं पी.ड.09 किशनलाल ने अपने सशपथ बयानों में एक स्वर में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए ही कन्या, ताराचंद की पत्नि सुकी, किशोर, बाबूलाल एवं मनीष द्वारा उनकी दुकान में प्रवेश कर उनके साथ मारपीट करने एवं वर्तमान अभियुक्तगण के साथ संलिप्त होने की साक्ष्य दी है जिसका जिरह में ऐसा कोई खण्डन इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष नहीं है जो यह प्रमाणित करता हो कि घटना के दिन उपरोक्त चारों आरोपीगण घटनास्थल पर उपस्थित न रहें हो तथा उनकी घटना में भागीदारी नहीं रही हो। प्रकरण में छगनलाल जिसे अभियोजन द्वारा स्वंतत्र गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त गवाह की जिरह यद्यपि पूर्ण नहीं हुई है परंतु उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये कि घटना के दिन वर्तमान अभियुक्तगण के साथ दो महिलाएं भी थी जिनके हाथ में लाठियां व सरिये थे। उक्त गवाह की साक्ष्य की कड़ी अन्य गवाहान की साक्ष्य से मिलाने पर वे दो महिलाएं सुकी एवं कन्या होना दर्शित होता है। गवाह की अब तक हुई जिरह से न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है कि उक्त दोनों महिलाओं की घटना में भागीदारी नहीं रही हो। धारा 319 सीआरपीसी के संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय हरदीपसिंह बनाम पंजाब राज्य वगैरह 2014 (3) एस.सी.सी. 92 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि "The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfication to an extent that the evidence, if goes unrebutted would lead to conviction"** उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि परिवादी जिसमें आहतगण एवं चक्षुदर्शी साक्षी सम्मिलित है, उनके द्वारा आरोपीगण कन्या, सुकी, मनीष, बाबूलाल एवं किशोर के विरूद्ध साक्ष्य दी गयी है तथा स्वतंत्र गवाह छगनलाल द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में महिलाओं की मौके पर उपस्थिति एवं उनकी भागीदारी होने की साक्ष्य दी गयी है। ऐसे में परिवादी पक्ष की सशपथ

दी गयी साक्ष्य की संपुष्टि एक दूसरे से होने से एवं छगनलाल की साक्ष्य की कड़ी भी अन्य साक्षीगण से जुड़ने से इस स्तर पर यह प्रकट आता है कि उक्त आरोपीगण घटना के दिन वर्तमान अभियुक्तगण के साथ उपस्थित थे तथा उनके द्वारा घटना में भाग लिया गया। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मोहित एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू पी. पी. एंड अनदर 2019 (3) सी.आर.एल.आर.(राज.) 1135 में यह अभिनिर्धारित किया कि यदि आरोपीगण का नाम एफआईआर में परीलक्षित हो रहा है एवं न्यायालय के समक्ष यदि आहत एवं एक चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा उक्त आरोपीगण का घटना में शामिल होना तथा विशिष्ट भूमिका निभाना वर्णित किया गया है तो ऐसे आरोपीगण के विरूद्ध धारा 319 सीआरपीसी के तहत न्यायालय कार्यवाही करने हेतु अग्रसर हो सकता है।** हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त आरोपीगण का नाम अंकित है एवं आहतगण छोगालाल, शंकरलाल, प्रकाश, किशनलाल, महेंद्रकुमार ने एक स्वर में आरोपीगण का घ ाटना में सम्मिलित होना अभिकथित किया है तथा छगनलाल की साक्ष्य से भी ऐसा कहीं दर्शित नहीं है कि उक्त पांचों आरोपीगण वक्त घटना मौके पर उपस्थित नहीं हो। आहतगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आहत की साक्ष्य का साक्ष्यात्मक मूल्य अधिक होता है और जब तक कोई ठोस कारण न हो, उनके बयानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि आहत उस व्यक्ति को नहीं बचाएगा जिसने उसके साथ घ ाटना कारित की है। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार समस्त गवाहान द्वारा आरोपीगण का घटना में सम्मिलित होने बाबत् एक स्वर में कथन करना एवं गवाह छगनलाल की साक्ष्य की कड़ी अन्य गवाहान की साक्ष्य से मिलने से आरोपीगण कन्या, सुकी, मनीष, बाबूलाल एवं किशोर का घटना में संलिप्त होना प्रकट है जिस हेतु उक्त आरोपीगण के विरूद्ध धारा 319 सीआरपीसी के तहत अन्य आरोपीगण के साथ विचारण करने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 सीआरपीसी स्वीकार कर आरोपीगण कन्या, सुकी, मनीष, बाबूलाल एवं किशोर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 427, 325 भा.द.सं. में विचारण करने के पर्याप्त आधार होने से उक्त आरोपीगण को बतौर अभियुक्त सूची में जोड़ा जाता है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण का नाम अभियुक्त अभियुक्त सूची में लाल स्याही से जोड़ा जावे। अभियुक्तगण कन्या, सुकी, मनीष, बाबूलाल एवं किशोर को जरिये जमानतीय वारण्ट 500/– से तलब किया जावे।

पत्रावली वास्ते हाजरी मुलजिमान दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।